



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ


प्रकरण क्रमांक निग.2109-II/2014

जिला-सीधी

भगवानदीन सोंधिया/चमेलिया पटेल वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के.देव. पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिहावल के प्रकरण क्रमांक 23/अ-70/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 व 23.08.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

M

  
(बी.एम.शर्मा),  
सदस्य